**फा.सं. 12/6/2013-संसद एवं समन्वय**

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

---

तीसरा तल, जीवन दीप भवन,

10, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

अगस्त 30, 2022

**कार्यालय आदेश**

**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) एवं (2) के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए) की नियुक्ति।**

इस विभाग के दिनांक 23.8.2022 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अधिक्रमण में तथा वित्तीय सेवाएं विभाग में अधिकारियों की तैनाती/स्थानांतरण/पदोन्नतियां/अधिवर्षिता आदि के कारण परिवर्तन होने के फलस्वरुप **केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए)** की सूची एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

**वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए) की सूची:**

| **क्रम सं.** | **केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) का नाम, पदनाम, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या** | **अपीलीय प्राधिकारी (एए) का नाम, पदनाम, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या** | **मौजूदा आबंटित कार्य** |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| | सर्वश्री/सुश्री | सर्वश्री/सुश्री | |
| 1. | चन्द्रगुप्त शौर्य, अवर सचिव<br>c.shaurya@nic.in<br>(दूरभाष: 23748764) | प्रशांत कुमार गोयल, निदेशक<br>dirac-dfs@nic.in<br>(दूरभाष: 23748774) | **कृषि ऋण (एसी):**<br>• कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह<br>• कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008<br>• नाबार्ड (सेवा मामलों से इतर) कृषि वित्त कारपोरेशन (सेवा मामलों से इतर) से संबंधित मामले, उक्त विषय पर राज्य के कानून, सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंकों सहित), वर्ल्ड बैंक, एडीबी तथा केएफडब्ल्यू से सहायता प्राप्त ग्रामीण/कृषि ऋण परियोजनाएं, सहकारी बैंकों द्वारा की गई अपीलें, सूक्ष्म वित्त से संबंधित मामले, प्राकृतिक आपदाओं, दंगा उपद्रवों इत्यादि से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता, खादी एवं ग्रामीण उद्योग निगम, हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र को बैंक ऋण।<br>• नाबार्ड का सिटीजन चार्टर।<br>• नाबार्ड के सीएमडी तथा निदेशकों की नियुक्ति<br>• किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना<br>• आरबीआई द्वारा लाइसेंस को निरस्त किए जाने के विरुद्ध शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपील के संबंध में पदनामित अपीलीय प्राधिकारी को सचिवालीय सहायता |



कु० शैलेन्द्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | अब्दुल गुफ़रान, अवर सचिव<br>abdul.gufran@nic.in | प्रशांत कुमार गोयल, निदेशक<br>dirac-dfs@nic.in<br>(दूरभाष: 23748774) | **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):**<br>• आरआरबी अधिनियम, 1976 तथा उसके अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों के संबंध में विधायी मामले<br>• आरआरबी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों का नामांकन, अध्यक्ष की नियुक्ति, आरआरबी की सिफारिश, आरआरबी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, वेतन संशोधन, श्रम शक्ति नियोजन<br>• सभी आरआरबी की वार्षिक रिपोर्ट और उसकी समीक्षा प्रस्तुत करना<br>• आरआरबी के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के स्टाफ सेवा विनियम तथा पदोन्नति नियमावली बनाना, आरआरबी के आईआर मामले।<br>• आरआरबी का नागरिक घोषणा-पत्र।<br>• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित महिलाओं, कमजोर वर्गों को ऋण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों को ऋण, सच्चर समिति द्वारा अनुशंसित चुनिन्दा पैरामीटरों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई, डीआरआई योजना |

2. किसी भी विवाद के मामले में, उप सचिव (समन्वय) संबंधित सीपीआईओ को आरटीआई आवेदनों को चिह्नित करेंगे और इस संबंध में उप सचिव (समन्वय) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3. कार्यालय में नामित सीपीआईओ/एए की अनुपस्थिति की स्थिति में, समय-समय पर स्थापना अनुभाग द्वारा नियुक्त लिंक अधिकारी नामित सीपीआईओ/एए के स्थान पर आरटीआई से संबंधित सभी मामलों का नियमित आधार पर निस्तारण करेगा।

4. मौजूदा सीपीआईओ/अपील प्राधिकारियों की सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति आदि के मामले में, स्थापना अनुभाग द्वारा नियुक्त पदस्थ अवर सचिव और निदेशक/उप सचिव को सीपीआईओ की अगली नियुक्ति तक क्रमशः सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी माना जाएगा। / एए समन्वय अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(कुमार शैलेन्द्र)
**सीपीआईओ/अवर सचिव (समन्वय)**
**दूरभाष नं.011-23746413**

**डीएफएस . के सभी अधिकारी**

सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/ एमओएस (वित्त) के निजी सचिव
2. सचिव (एफएस) के प्रधान निजी सचिव

**इस आदेश को डीएफएस की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीएफएस को प्रतिलिपि।**